केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं.सीबीएसई/भर्ती प्रकोष्ठ/3(1)/स्थानांतरण नीति/2024/ **दिनांक : 07.06.2024**

<u>अधिसूचना</u>

बोर्ड ने स्थानांतरण और तैनाती में पारदर्शिता लाने, अपने कार्यों के निर्वहन में कर्मचारियों की प्रभावशीलता, बेहतर जनशक्ति प्रबंधन के साथ-साथ बोर्ड की विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना सं. सीबीएसई/भर्ती प्रकोष्ठ/स्थानांतरण नीति/2017/001-100 के तहत स्थानांतरण नीति जारी की है। ये दिशानिर्देश कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओई की भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के बाद बनाए गए हैं।

पिछले छः वर्षों में बोर्ड को स्थानांतरण नीति के संबंधित क्षेत्रों पर जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार उसमें अधिक पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत हित के बीच समुचित नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने के लिए समुचित संशोधन की आवश्यकता है। सीबीएसई नियमावली और विनियमों में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार बोर्ड सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन और स्कूलों को संबद्ध करने के लिए नियामक कार्य करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि बोर्ड की स्थानांतरण नीति में इसके हितधारकों में सार्वजनिक विश्वास और भरोसा लाने के लिए विशेष रूप से बोर्ड में नए कर्मचारियों के कार्यग्रहण करने पर प्रारंभिक तैनाती और विशेषकर इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में बोर्ड के कार्मिकों की पदोन्नति अथवा स्थानांतरण पर तैनाती करते समय हितों के टकराव से बचने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

तदनुसार, दिनांक 01.01.2018 की मौजूदा स्थानांतरण नीति के अधिक्रमण में, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओई की भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के बाद बनाई गई परिशोधित स्थानांतरण नीति दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है:-

1. **<u>इस नीति की प्रयोज्यता</u>**:

1.1 असाधारण परिस्थितियों में विभागाध्यक्षों सहित बोर्ड के सभी कर्मचारी, लेकिन सरकार द्वारा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी शामिल नहीं हैं, भारत के बोर्ड के कार्यालयों/इकाइयों में किसी भी समय प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित में केवल उनके घोषित गृहनगर जिले के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर, भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

1.2 यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के लिए 01 वर्ष की सेवा शेष है, तो असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित को छोड़कर उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, 01 वर्ष से कम सेवा वाले किसी भी कर्मचारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर प्रशासनिक रूप से संभव सीमा तक इच्छानुसार तैनाती के लिए विचार किया जा सकता है।

1.3 बोर्ड का कोई भी कर्मचारी, किसी भी स्तर पर बोर्ड में प्रारंभिक नियुक्ति पर या अधीक्षक और समकक्ष और उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति पर, अपने घोषित गृह नगर के जिले पर अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं किया जाएगा।

जारी है**.....**

2. कुछ पदों का कार्यकाल और कुछ तैनातियों का स्थानांतरण/चक्रानुक्रम (रोटेशन):

2.1 क्षेत्रीय अधिकारी/सीओई के प्रमुख का कार्यकाल आम तौर पर सार्वजनिक हित में प्रशासनिक कारणों को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालय/सीओई में क्षेत्रीय अधिकारी/सीओई के प्रमुख के रूप में उनकी तैनाती/स्थानांतरण की तारीख से लगातार तीन साल की अवधि के लिए होगा। क्षेत्रीय अधिकारी/सीओई के प्रमुख के कार्यकाल में स्थिरता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.2 संवेदनशील पदों पर समूह "ए" और "बी" के सभी अधिकारियों को उनकी संबंधित पोस्टिंग/प्रदत्त कार्यभार से हर तीन साल के बाद अनिवार्य रूप से किसी अन्य विभाग/इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओई में स्थानांतरित/चक्रानुक्रमित (Rotation) किया जाएगा।

2.3 बोर्ड के सभी समूह "सी" कर्मचारियों को प्रशासनिक रूप से संभव सीमा तक कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार विभागों/इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओई के भीतर हर तीन साल के बाद स्थानांतरण किया जाएगा।

3. स्थानांतरण आदेशों का कार्यान्वयन :

3.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी स्थानांतरण आदेशों को आदेश जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा, जो कि कार्यभार सौंपने के लिए नकदी, स्टोर या गुप्त कार्य संभालने वाले अधिकारी के मामले में अधिकतम 15 दिनों के अधीन होगा।

3.2 07/15 दिनों के बाद, जैसा भी मामला हो, स्थानांतरित व्यक्ति को स्थानांतरित पद से मुक्त समझा जाएगा।

4. स्थानांतरण के साथ पदोन्नति का अनुबंधन:

4.1 अधीक्षक और उच्च तथा अन्य संवर्गों के उनके समकक्ष अधिकारियों के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित मानदंडों पर उनके घोषित गृह नगर में क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र वाले जिले को छोड़कर तैनाती के बाहरी स्थान पर स्थानांतरण के साथ जुड़ी होगी :-

क) पदोन्नति और बाहरी कार्यालयों में उन स्थानों पर स्थानांतरण पर रहने का सामान्य कार्यकाल 03 वर्ष होगा जो वर्तमान कार्यस्थल से 1000 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं और उन कार्यालयों के लिए 02 वर्ष होगा जो वर्तमान कार्यस्थल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर हैं।

ख) कर्मचारी अपने घोषित गृह नगर में क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र वाले जिले को छोड़कर केवल उपरोक्त कार्यकाल पूरा होने पर ही स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे सभी स्थानांतरण अनुरोध केवल बोर्ड के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उचित रूप से पंजीकृत किए जाएंगे।

ग) वरिष्ठ सहायक और समकक्ष स्तर तक के कर्मचारियों को पदोन्नति पर उसी कार्यालय/स्टेशन पर रखा जाएगा। हालाँकि, उन्हें किसी अन्य अनुभाग/शाखा/इकाई/विभाग/कार्यालय में तैनात किया जाएगा।

घ) पदोन्नति अस्वीकार करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए पदोन्नति से विवर्जित कर दिया जाएगा।

जारी है.....

ड.) जो कर्मचारी एक वर्ष के भीतर अधिवर्षिता प्राप्त कर रहा है, उसे उसी स्थान पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है जहां वह वर्तमान में तैनात है या प्रशासनिक रूप से संभवतया अपने पसंदीदा स्टेशन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।

च) जिस कर्मचारी ने पदोन्नति/स्थानांतरण पर तैनाती स्थान बदलने का अनुरोध किया है और उसके अनुरोध पर विचार किया गया है, वह स्थानांतरण अनुदान/टीए-डीए के लिए पात्र नहीं होगा।

छ) प्रमुख बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले कर्मचारी/बौद्धिक दिव्यांगता वाले आश्रित बच्चे वाले कर्मचारियों को प्रशासनिक रूप से संभव सीमा तक उसी स्थान पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है जहां वह वर्तमान में तैनात है या अपनी पसंद का स्टेशन चुन सकते हैं।

ज) ऐसे कर्मचारी जो एकल अभिभावक हैं/ पति/पत्नी/बच्चे की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर प्रशासनिक रूप से संभव सीमा तक, उनके घोषित गृहनगर में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र वाले जिले को छोड़कर, उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर या उनके पसंदीदा स्टेशन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।

झ) कर्मचारी अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में भी किसी स्टेशन पर 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद स्थानांतरण पर स्थानांतरण अनुदान/टीए/डीए के लिए पात्र होंगे।

5. <u>पहली नियुक्ति पर सीधी भर्ती के मामलों में पोस्टिंग:</u>

5.1 बोर्ड में प्रारंभिक नियुक्ति पर सीधी भर्ती के मामलों में जारी किए गए तैनाती के आदेश उनके घोषित गृहनगर के जिले के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों/सीओई में उपलब्ध रिक्तियों के समक्ष किए जाएंगे।

5.2 किसी भी समूह के ऐसे नए पदाधिकारियों द्वारा स्थानांतरण अनुरोधों पर उनकी प्रारंभिक तैनाती पर न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानांतरण पर उनकी तैनाती उनके घोषित गृहनगर जिले के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं की जाएगी।

6. <u>विवाह के आधार पर:</u>

6.1 सीबीएसई या केंद्र/राज्य सरकार संगठनों में कार्यरत पति-पत्नी को उनके घोषित गृह नगर के जिले के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर उसी स्टेशन/क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से संभव सीमा तक तैनाती या स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में कोई स्थानांतरण अनुदान/टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

7. <u>सामान्य दिशानिर्देश</u>:

7.1 कोई कर्मचारी पॉलिसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्यकाल पूरा होने पर ही स्थानांतरण के लिए पंजीकरण कर सकता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त सभी स्थानांतरण अनुरोधों पर आम तौर पर उस वर्ष अप्रैल से सितंबर में कार्रवाई की जा सकती है।

जारी है.....

7.2 यह ध्यान दिया जाए है कि उपरोक्त खंड किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी विशेष स्थानांतरण के दावे की गारंटी नहीं देती हैं। ये दिशानिर्देश केवल मार्गदर्शक कारक होंगे। सभी स्थानांतरणों के लिए प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित सर्वोच्च होगा।

7.3 कोई भी कर्मचारी स्थानांतरण आदेशों में स्थानांतरण/परिवर्तन/संशोधन के लिए कोई बाहरी प्रभाव नहीं लाएगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी के हित का समर्थन करने वाला ऐसा कोई प्रभाव प्राप्त हुआ है, तो यह माना जाएगा कि इसे कर्मचारी द्वारा लाया गया है तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध सीबीएसई सेवा नियम, 1985 सहित सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत मानित कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

7.4 कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती केवल प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के अधीन किसी कार्यालय में स्वीकृत पदों के तहत ही किया जाएगा। यदि अनुरोध के स्थान पर कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारी को उसके घोषित गृहनगर के जिले पर अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर, उस विशेष कार्यालय में रिक्ति उत्पन्न होने के बाद उसकी पसंद की नियुक्ति के स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

7.5 इन दिशानिर्देशों के बावजूद, अध्यक्ष, सीबीएसई इन दिशानिर्देशों के अलावा प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित में बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7.6 यह स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष पद/स्थान पर स्थानांतरण के लिए किए गए अनुरोध पर चयन के मानदंड उस स्वीकृत पद के अनुरूप और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर और केवल सार्वजनिक हित में और आवेदन की तारीख की प्राथमिकता के अनुसार होंगे।

हस्ता./-
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

<u>वितरण</u> :-

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव, अध्यक्ष, सीबीएसई को सूचनार्थ।
2. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय निदेशक।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/ (समन्वय)/ (आईटी)/ आईएएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी/सीओई के प्रमुख/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. बोर्ड के अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों को अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लायें।
6. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड स्टाफ कल्याण संघ।
7. हिंदी प्रकोष्ठ, सीबीएसई, मुख्यालय को हिंदी अनुवाद हेतु।
8. स्क्रैप फाइल/गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।

****